

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय:- राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं सुपरस्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्कों में एकरूपता लाने हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्कों का पुनर्निर्धारण तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के प्रावधानों के अनुरूप निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 50% सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप किये जाने की स्वीकृति।

राज्य के मेधावी छात्रों के राज्य से बाहर चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हेतु पलायन को रोकने, जनसंख्या चिकित्सक अनुपात को कम करने एवं राज्य में रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सस्ती चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है।

2- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं०- एन०एम०सी०/यू०एस०(एन०एम०सी०)/फी-रेगुलेटिंग.कमिटी/2021-22, दिनांक-03.02.2022 के द्वारा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एक्ट-2019 के द्वारा निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों के 50% सीटों पर नामांकन हेतु राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में लिये जाने वाले नामांकन एवं अन्य शुल्क के अनुरूप शुल्क निर्धारण का दिशा-निर्देश दिया गया है।

3- विदित हो कि राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु निर्धारित नामांकन एवं अन्य शुल्कों में कतिपय मद एवं राशि समरूप नहीं है। अतः सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में लागू नामांकन एवं अन्य शुल्कों में एकरूपता लाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

4- उक्त क्रम में राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्कों में एकरूपता लाने के संबंध में अनुशंसा प्राप्त करने हेतु विभागीय पत्रांक-819(1), दिनांक-12.09.2022 द्वारा निदेशक प्रमुख (चि०शि०) की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं सुपरस्पेशियलिटी पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु निम्नांकित रूप से नामांकन एवं अन्य शुल्क का निर्धारण किया जाता है-

(i) स्नातक पाठ्यक्रम के लिए नामांकन एवं अन्य शुल्क-

1	एडमिशन फी	रु० 1000/- एक बार
2	ट्यूशन फी	रु० 9000/- प्रति वर्ष x 4½
3	हॉस्टल फी	रु० 12000/- वार्षिक
4	कॉशन मनी	रु० 10000/- एक बार
5	इलेक्ट्रिसिटी चार्ज	रु० 1200/- वार्षिक
6	मैगजीन सोसाईटी	रु० 500/- प्रत्येक वर्ष
7	कॉलेज एक्टिविटी	रु० 2000/- एक बार
8	स्टूडेंट वेलफेयर फंड	रु० 5000/- एक बार
9	स्टूडेंट यूनिशन फंड	रु० 100/- एक बार

(ii) स्नातकोत्तर एवं सुपरस्पेशियलिटी पाठ्यक्रम के लिए नामांकन एवं अन्य शुल्क-


1	पी0जी0 डिग्री, एडमिशन फी	रु0 4000/- एक बार
2	पी0जी0 डिप्लोमा, एडमिशन फी	रु0 2000/- एक बार
3	(सुपर-स्पेशियलिटी), एडमिशन फी	रु0 5000/- एक बार
4	ट्यूशन फी	रु0 9000/- वार्षिक
5	हॉस्टल फी	रु0 12000/- वार्षिक
6	काँशन मनी	रु0 10000/- एक बार
7	इलेक्ट्रिसिटी चार्ज	रु0 1200/- वार्षिक
8	मैगजीन सोसाईटी	रु0 1000/- वार्षिक
9	स्टूडेंट वेलफेयर फंड	रु0 5000/- एक बार

5- कडिका-2 में यथा उल्लेखित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के प्रावधान को राज्य में निम्नांकित रूप से लागू किया जाता है-

- (i) राज्य के सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों के 50% स्नातक एवं स्नातकोत्तर सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु निर्धारित शुल्क के समरूप होगा।
- (ii) चिकित्सा महाविद्यालय में छात्र के नामांकन के समय निर्धारित शुल्क उनके सम्पूर्ण अध्ययन अवधि के लिए एकसमान होगा।

6- प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-24.02.2023 के मद संख्या-13 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(सुधीर कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-1/विविध-42/2022-187(1) /स्वा0, पटना, दिनांक-14 / 3 /2023

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र (गजट) के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-1/विविध-42/2022-187(1) /स्वा0, पटना, दिनांक-14 / 3 /2023

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011/सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद्, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका फेज-1, नई दिल्ली-110077/The Assistant Directorate General (ME), Directorate General of Health Services, 352-A, Nirman Bhawan, New Delhi-110011/The Secretary/Registrar, Dental Council of India, Aiwan-E-Galib Marg, Kotla Road, Temple Lane, Opp. Mata Sundari College for Women, New Delhi-110002/ The Secretary, Pharmacy Council of India,

NBCC Centre, 3<sup>rd</sup> Floor, Plat no.-2, Community Centre, Maa Anandmai Marg, Okhla Phase-I, Landmark (Near Hotel Crowne Plaza), New Delhi-110020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा वर्षद, आई0ए0एस0 एसोसिएशन भवन, हवाई अड्डा के नजदीक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-24.02.2023 के मद संख्या-13 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, ज्ञान परिसर, मीठापुर, पटना-800001/कुलसचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना-800001/कुलसचिव, सभी डीम्ड विश्वविद्यालय, बिहार/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/प्राचार्य, सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/प्राचार्य, सभी सरकारी/निजी दंत महाविद्यालय, बिहार/प्राचार्य, सभी सरकारी/निजी आयुर्वेदिक/यूनानी/तिब्बी/होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/विभागाध्यक्ष-सह-नियंत्रण पदाधिकारी, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं अकुपेशनलथेरापी, विकलांग भवन, कंकड़बाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव  
३६